संख्या-504/2018/2710/22-2-2017-17(692)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 15 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसीराम पुत्र श्री छबिलाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36055/प्रोबेशन-3/ (एम-22-06-2017) दिनांक-04-10-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 04-10-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जसीराम पुत्र श्री छबिलाल, निवासी-औडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को समय लगभग 04:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताश खेल रहे मूलचन्द्र, परशुराम एवं आशाराम को ललकारते हुए बन्दूक से फायर कर दिया। आशराम व परशुराम को घायल करने के बाद प्यावा हार में जाकर नृपत की हत्या कर दी, उपचार के दौरान परशुराम की रात्रि 10:00 बजे तथा आशाराम की सुबह मृत्यु हो गयी, इस प्रकार कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/80 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/34, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-497/1985 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 04.06.2017 के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2017 तक 15 वर्ष 01 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **हमीरपुर** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताश खेल रहे परशुराम, आशाराम एवं नृपत नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी अपराधी प्रवृत्ति का है भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा 05 बिन्दुओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जसीराम पुत्र श्री छबिलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जसीराम (बन्दी संख्या-555/2003) पुत्र श्री छबिलाल, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-504/2018/2710(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-504/2018/2710/22-2-2017-17(692)/2017
दिनांक 15 जून, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसीराम (बन्दी संख्या-555/2003) पुत्र श्री छबिलाल, निवासी-औडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को समय लगभग 04:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताश खेल रहे मूलचन्द्र, परशुराम एवं आशाराम को ललकारते हुए बन्दूक से फायर कर दिया। आशराम व परशुराम को घायल करने के बाद प्यावा हार में जाकर नृपत की हत्या कर दी, उपचार के दौरान परशुराम की रात्रि 10:00 बजे तथा आशाराम की सुबह मृत्यु हो गयी, इस प्रकार कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/80 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/34, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-497/1985 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 04.06.2017 के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2017 तक 15 वर्ष 01 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **हमीरपुर** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताश खेल रहे परशुराम, आशाराम एवं नृपत नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी अपराधी प्रवृत्ति का है भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जसीराम पुत्र श्री छबिलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in